उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग।

(आपूर्ति शाखा)

निविदा संख्या–04 / 2016–17

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

सरकार के सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक–1876 दिनांक–16.05.16 के द्वारा मुख्यमंत्री दाल–भात योजनान्तर्गत आवश्यक सामग्री की आपूर्ति जिला स्तरीय निविदा के माध्यम से करने हेतु निदेश प्राप्त है।

उक्त निदेश के आलोक में हजीबाग जिलान्तर्गत चार माह के लिए अल्पकालीन निविदा निकाली गई थी, जिसकी अवधि समाप्त हो गई है। फलस्वरूप पुनः मुख्यमंत्री दाल–भात केन्द्रों को चावल, चना एव सोयाबीन बड़ी उपलब्ध कराने हेतु आपूर्तिकर्त्ता के चयन हेतु निविदा निकाली जानी है।

हजारीबाग जिला में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग अंतर्गत चल रही मुख्यमंत्री दाल–भात योजना के तहत् खाना में दाल–भात के साथ चना / सोयाबीन बड़ी के साथ सब्जी दिया जायेगा। इसके लिए हजारीबाग जिलान्तर्गत अधिकत्तम शहरी क्षेत्र के 06 केन्द्रों को प्रति केन्द्र प्रति दिन 400 व्यक्तियों के लिए 200 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से चावल एवं 05 किलोग्राम चना / सोयाबीन बड़ी तथा ग्रामीण क्षेत्र के 16 प्रखण्डों एवं शहरी क्षेत्र के 01 रात्रि दाल–भात केन्द्र में प्रति केन्द्र प्रति दिन 200 व्यक्तियों के लिए 200 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से चावल एवं 2.5 किलोग्राम चना / सोयाबीन बड़ी की दर से सामग्री आपूर्ति केन्द्र संचालकों को करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रत्येक माह जिला आपूर्ति पदाधिकारी / प्रखण्ड आपूति पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार ही चावल, चना एवं सोयाबीन बड़ी उपलब्ध कराया जाना है।

चावल, चना एवं सोयाबीन बड़ी कुल 22 मुख्यमंत्री दाल–भात केन्द्र संचालकों को आपूर्ति करने हेतु इच्छुक निविदादाता दिनांक–25.10.2016 से 09.11.2016 के अपराह्न 12:00 बजे तक जिला आपूर्ति कार्यालय, हजारीबाग के यहाँ रखे मुहरबन्द निविदा पेटी में निविदा डाल सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जायेगी। प्राप्त निविदाएँ उसी तिथि अर्थात् दिनांक–09.11.2016 को 03:00 बजे अपराह्न में निविदादाता की अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में उपायुक्त, हजारीबाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित उनके कार्यालय या अन्य निर्दिष्ट स्थल पर खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को अवकाश घोषित हो जाता है तो ठीक उसके बाद कार्यालय खुलने के दिन या उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदा खोली जायेगी।

निविदादाता का चयन निविदा में चावल, चना एवं सोयाबीन बड़ी हेतु डाले गये न्यूनत्तम दर पर किया जायेगा। चावल, चना एवं सोयाबीन बड़ी की दर कृषि उत्पादन बाजार समिति के दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

<u>तकनीकी बीड के लिए अहर्त्ताएँ:–</u>

1. निविदा हेतु निविदा पत्र एवं निविदा की शर्त्तें जिला आपूर्ति कार्यालय, हजारीबाग से, 500.00 (पॉच सौ) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमा कर जिला आपूर्ति, हजारीबाग से प्राप्त कर सकते हैं। बैंक ड्रॉफ्ट जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग के पक्ष में हजारीबाग को भुगतेय होना चाहिए। इस राशि को वापस नहीं किया जायेगा।

2. निविदादाता का खाद्य सामग्री का व्यवसाय स्थल हजारीबाग जिला अंतर्गत होना चाहिए। निविदादाता के दुकान का TIN No. एवं बाजार समिति से निबंधित प्रमाण–पत्र सहित संलग्न होना चाहिए।
3. जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र जो निविदा प्रकाशन की तिथि से 06 (छः) माह पूर्व की अवधि का नहीं होना चाहिए।
4. अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी/उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से निर्गत अपना स्थायी निवास (पता संबंधी) प्रमाण–पत्र तकनीकी बीड में संलग्न करना है।
5. निविदाता का अद्यतन आयकर विवरणी।
6. चावल, चना/सोयाबड़ी बड़ी उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। गुणवत्ता के संबंध में निविदा समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं निम्न गुणवत्ता वाले निविदादाता को वित्तीय बीड में भाग लेने से वंचित किया जा सकेगा। सभी सामग्री का नमूना सिल्ड पारदर्शी फलास्क/बोतल में लाना होगा, जिसपर निविदादाता का नाम एवं पता चिपका होना चाहिए। आपूर्तिकर्त्ता के रूप में चयतिन होने के उपरांत इससे भिन्न सामग्री की आपूर्ति केन्द्रों द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सभी केन्द्रा तक एक माह के लिए माह प्रारम्भ होने के दो दिन पूर्व सभी केन्द्रों पर निर्धारित मात्रा में चना/सोयाबीन बड़ी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा, से संबंधित शपथ–पत्र। इसके लिए आपूर्तिकर्त्ता को किसी प्रकार भी प्रकार का परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
8. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग के पक्ष में भुगतेय तथा निविदा प्रकाशन तिथि के बाद निर्गत 50,000/– (पचास हजार) रूपये का बैंक ड्रॉफ्ट अग्रधन राशि के रूप में निविदा के संबंधित कागजातों के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
9. कम–से–कम 5,00,000.00 (पॉच लाख) रूपये का व्यक्तिगत सम्पति प्रमाण–पत्र अंचल अधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद द्वारा निर्गत किया हुआ होना आवश्यक है।
10. उपायुक्त, हजारीबाग को बगैर कारण बताये निविदा को रद्द करने/निविदा समय में परिवर्त्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
11. खाद्य आपूर्ति विभाग से अन्य कार्य हेतु निविदा प्राप्त किय गये व्यक्ति इस निविदा से वंचित रहेंगे।

ह0/–

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
हजारीबाग।

उपायुक्त,
हजारीबाग।